

**भाग-III****हरियाणा सरकार**

सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 6 सितम्बर, 2019

**संख्या सांका०नि० 45/संवि०/अनु० 309/2019.**— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ग्रुप घ) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (ग्रुप घ) सेवा नियम, 1998 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"5. सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की आयु सीमा ऐसी होगी जो हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं।"

3. उक्त नियमों में, नियम 13 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"13 हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की धारा 4 में यथा विनिर्दिष्ट।"

4. उक्त नियमों में, नियम 14 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"14(1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम 2016 द्वारा शासित होंगे:

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती है; ऐसी शास्तिया लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के अधीन रहते हुए, वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट ग में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम 9 के खण्ड (ग) या (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वही होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट घ में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क,ख,ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किये जाएंगे,अर्थात् :-

## परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	सेवादार	03	—	03	एफ० पी० एल० 16900/— रुपए

**परिशिष्ट ख**

(देखिए नियम 7)

पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हों
1	2	3
सेवादार	हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, (2018 का 5), की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट।	<b>स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा</b> हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 ( 2018 का 5), की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट।

**परिशिष्ट ग**  
{ देखिए नियम 14(1) 7 }

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी	प्रथम अपील प्राधिकारी	द्वितीय अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	सेवादार	निदेशक	<b>छोटी शास्तियां:-</b> हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित। <b>बड़ी शास्तियां:-</b> हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 में यथा विहित।	निदेशक	प्रशासकीय सचिव	सरकार

## परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश करने के लिये सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी
1	2	3	4	5
1	सेवादार	(i) पेंशन की शास्ति करने वाले नियमों के अधीन अनुज्ञेय अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना। (ii) सेवा के सदस्य की उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	निदेशक	सरकार ।"।

अंकुर गुप्ता,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग।

[Authorised English Translation]

## HARYANA GOVERNMENT

### INFORMATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND COMMUNICATION DEPARTMENT

#### Notification

The 6th September, 2019

**No. G.S.R. 45/Const./Art.309/2019.**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana, hereby makes the following rules to further amend the Haryana Electronics and Information Technology Department (Group D) Service Rules, 1998, namely;

1. These rules may be called the Haryana Electronics and Information Technology Department (Group D) Service (Amendment) Rules, 2019.

2. In the Haryana Electronics and Information Technology Department (Group D) Service Rules, 1998 (hereinafter called the said rules) in rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

“5. The age for direct recruitment to the service shall be such, as specified in section 6 of the Haryana Group D Employee (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).”.

3. In the said rules, for rule 13 the following rule shall be substituted, namely:-

“13. As specified in section 4 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).”.

4. In the said rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely;

“14(1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, as amended from time to time:

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority, shall subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The competent authority to pass an order under clause (c) or clause (d) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016, and the appellate authority shall be specified in Appendix D to these rules.

5. In the said rules, for Appendix A,B,C and D, the following Appendix shall be substituted, namely:-

**APPENDIX A***(see rule 3)*

Serial Number	Designation of post	Number of posts			Pay Scale
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1	Peon	03	-	03	F.P.L. ₹ 16900/-.

**APPENDIX B***(see rule 7)*

Designation of post	Academic Qualifications and experience, if any, for the direct recruitment.	Academic Qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3
Peon	As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018)	By Promotion or deputation- As specified in the First Schedule of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018).



**APPENDIX C***[see rule 14 (1)]*

<b>Serial Number</b>	<b>Designation of posts</b>	<b>Appointing Authority</b>	<b>Nature of penalty</b>	<b>Authority empowered to impose penalty</b>	<b>First appellate authority</b>	<b>Second Appellate Authority</b>
1	2	3	4	5	6	7
1	Peon	Director	Minor Penalties — (i) As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016; Major Penalties — (ii) As specified in the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 2016.	Director	Administrative Secretary.	Government.

**APPENDIX D***[see rule 14 (2)]*

<b>Serial Number</b>	<b>Designation of posts.</b>	<b>Nature of order</b>	<b>Authority empowered to make order</b>	<b>Appellate Authority</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Peon	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension; (ii) terminating the appointment of otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Director	Government.”.

ANKUR GUPTA,  
Principal Secretary to Government, Haryana,  
Information Technology, Electronics and Communication Department.